ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन,

हिमाचल प्रदेश - 174101 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कुलदीप कौर	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री मुनीश कुमार	01.04.2022 से 23.08.2023
2.	श्री रामकरण	24.08.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत मंझोली के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत अधिक अन्तर पाया जाना	12.19
2	4.2	रोकड़ बहियों में फर्जी प्रविष्टियाँ पाई जाना	12.54
3	4.3	रोकड़ बहियों में राशि को पहले सभा निधि से 15 वाँ वित्त आयोग में स्थानान्तरण करना व दौवारा 15 वाँ वित्त आयोग से तीन अलग अलग प्रविष्टियाँ करके सभा निधि में स्थानांतरित करना	12.54
4	4.6	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि हस्तगत नकद शेष का पाया जाना	0.06
5	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	14.37
6	7.1	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	3.91
7	8.1	स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	0.14
8	8.2	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर आर्डर, माप आंकलन, तकनीकी / प्रशाशनिक स्वीकृति व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना	54.17
9	8.3	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	0.38
10	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	11.65
11	8.5	केबल चयनित माह में बिलों के भुगतान वास्तविक / मूल	0.08

		बिल के बिना करना	
12	9.1	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे	0.19
13	9.2	मनरेगा के मस्ट्रोलों के भुगतान को माप पुस्तिका में अंकित भुगतान योग्य राशि से अधिक का अनियमित भुगतान करना	0.54
14	12.1	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	7.05
15	14.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करना	0.11
16	14.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन न करना	0.01

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम तथा वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.08.2024 से 21.08.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	08/22	08/22
2023-24	01/24	02/24

अस्वीकरण (Disclaimer):- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मंझोली के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0088 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को ग्राम पंचायत की बैठक में पारित करके शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 12/2024 दिनांक 12.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क व ख "** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1934317.58	4749021.00	6683338.58	4658051.02	2025287.56
2023-24	2025287.56	2365582.00	4390869.56	1998554.00	2392315.56

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3511680.09	3644987.94	7156668.03	5397698.94	1758969.09
2023-24	1758969.09	1496281.26	3255250.35	1818408.26	1436842.09

कुल योग (1+2) = 2392315.56 + 1436842.09 + 5562.42 (नगद शेष) = **3834720.07**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के तथा बैंक खातों में राशि के अन्तशेष **₹2616087.29 (परिशिष्ट -"ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, IAY, RAYEAAY, SBM	ICICI बैंक नालागढ़	372701000155	0.00
2	सभा निधि / SF, 14TH FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000170	56.00

3	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 4TH SFC, NRLM	ICICI बैंक नालागढ़	372701000174	358889.00
4	सभा निधि / SF, MPLADS, MMGPY, PMGSY, SCSPSC, 13TH FC, VKVNY VMJS	ICICI बैंक नालागढ़	372701000177	2.00
5	सभा निधि / SF, IAY, 15TH FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000178	27.00
6	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 14TH FC, NRHM, SCSP SC, SBM 13TH FC, 5TH SFC, MPLADS	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000181	738381.93
7	GRCAUGS, MMGPY, सभा निधि / SF, SDP, SBM, 13TH FC, VKVNY	UCO बैंक मंझोली	014550100003942	708151.36
8	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 14TH FC,	UCO बैंक मंझोली	14550110045770	0.00
9	15वां वित्तायोग / 15FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000341	810580.00
			जोड़	**2616087.29**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**3834720.07**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**2616087.29**
अंतर :-	**1218632.78**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹12.19 लाख का अत्यधिक अन्तर पाया जाना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को **₹12,18,632.78** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार व अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ बहियों में राशि ₹12.54 लाख की संदिग्ध/अनुचित प्रविष्टियाँ का पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **10** के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाकर रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज आय व्यय की प्रविष्टियाँ पाई गई जिनका संबंधित बैंक खातों की पासबुकों से मिलान उपरांत कोई लेन-देन दर्ज नहीं था जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ संदिग्ध/अनुचित प्रतीत होती है ।

(i) आय

अनुदान	क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही वॉचर संख्या	विवरण रोकड़ बही अनुसार	राशि	टिप्पणी
OWN	1	03.08.2022	OWN/2022-23/R/21	15TH FC से प्राप्त राशि	1253551.00	No income details showing in pass book for such amount
				कुल	**1253551.00**	

(i) व्यय

अनुदान	क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही वॉचर संख्या	विवरण रोकड़ बही अनुसार	राशि	टिप्पणी
OWN	1	03.08.2022	OWN/2022-23/P/17	Other's expanse	1253551.00	No expanse details showing in pass book for such amount
				कुल	**1253551.00**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में क्रमांक संख्या GP Manjholi 0089 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि Online cashbook में गलती से यह इंद्राज की गई है, जो की दोनों ओर है, वभिष्य में इस प्रकार की कोई Entry रोकड़ बही में नही की जायेगी । उक्त अनियमितता के दृष्टिगत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व आवश्यक कार्यवाही पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.3 रोकड़ बहियों में ₹12.54 लाख को पहले सभा निधि से 15 वें वित्त आयोग में स्थानान्तरण करना व दोबारा 15 वें वित्त आयोग से तीन अलग अलग प्रविष्टियाँ करके सभा निधि में स्थानान्तरित करना : -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **10** के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बना कर रखी जाएंगी।

हालांकि लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत मंझोली की रोकड़ बही पुस्तिका में ₹12.54 लाख की राशि पहले सभा निधि से 15 वें वित्त आयोग में और फिर 15 वें वित्त आयोग से सभा निधि से सभा निधि में तीन अलग-अलग प्रविष्टियों के माध्यम से स्थान्तरित की गई । यह अंतरण किसी भी बिल के भुगतान हेतु नहीं किया गया था । इन प्रविष्टियों के लिए कोई सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी । ये प्रविष्टियाँ संदिग्ध प्रतीत होती है । इस सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियां दर्ज की गई थी :-

(i) व्यय

अनुदान	क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही वॉचर संख्या	विवरण रोकड़ बही अनुसार	राशि	टिप्पणी
15^{TH} FC	1	03.08.2022	XVFC/2022-23/P/81	Nirmaan Rata v sew Raghuvir ghiad	257665.00	Amount transferred to Sabha Nidhi
	2		XVFC/2022-23/P/82	Nirmaan rasta v sew Jeet to Rattan	499574.00	

				Maganpura		
	3		XVFC/2022-23/P/83	Nirmaan rasta Balkrishan to Sucha	496312.00	
				कुल राशि	**1253551.00**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में क्रमांक संख्या GP Manjholi 0089 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इन राशियों का भुगतान वित्त बर्ष 2020-2021 में 15^{TH} FC से Off-line माध्यम से किया गया था, जो की Online माध्यम से होना चाहिए था, इस लिये **₹12,53,551.00** की राशि को पहले सभा निधि से 15^{TH} FC के बैंक खाते में स्थान्यन्त्रित किया गया व बाद में इस राशि को पूर्व अनुसार सभा निधि में दोबारा स्थान्यन्त्रित किया गया है, इस प्रकार की किसी भी राशि का भुगतान किसी आपूर्तिकर्ता को नही किया गया है तथा यह केवल online भुगतान दिखाने के लिये किया गया है तथा भविष्य प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा, तथा इस प्रकार की कोई भी entry सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के बिना नही की जाएगी । जवाब संतोषजनक नही पाया गया। प्रत्युत्तर संतोषजनक/तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार आवश्यक कार्यवाही पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.4 नियमानुसार ई ग्राम स्वराज्य पर लेखों का संधारण न करने बारे: -

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है व जिसके अनुसार प्रतेक अनुदान के लिये अलग रोकड़ बही का संधारण करना और पृथक बैंक खाते को संचालित करना आपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत इ ग्राम स्वराज पर संधारित सभा निधि रोकड़ बही में अनुदान शीर्ष 5th SFC, BBNDA का आय व व्यय को सम्लित किया गया है जो की अनियमित व आपतिजनक है यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0089 दिनांक 21.08.2024 द्वारा भविष्य में 5th SFC अनुदान को सम्बन्धित अनुदान से ही आय व व्यय किया जायेगा। Online रोकड़ बही में BBNDA अनुदान के लिये कोई भी entry का विकल्प नही है, इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारी से चर्चा उपरान्त निश्चित कारवाही कर ली जाएगी व भविष्य में इस प्रकार के अनुदानों को सभा निधि में न लेकर अनुदान में ही लिया जायेगा व अनुपालना आगामी अंकेंक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है ।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार ई ग्राम स्वराज पर लेखों का संधारण करना सुनिश्चित करने उपरान्त कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 स्कीमवार पृथक बैंक खाते न खोलने बारे: -

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है व जिसके लिए निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार बैंक खातों का संचालन नहीं किया जा रहा व अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता एवं एक से अधिक बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

1	सभा निधि / SF, IAY, RAYEAAY, SBM	ICICI बैंक नालागढ़	372701000155
2	सभा निधि / SF, 14TH FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000170
3	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 4TH SFC, NRLM	ICICI बैंक नालागढ़	372701000174
4	सभा निधि / SF, MPLADS, MMGPY, PMGSY, SCSPSC, 13TH FC, VKVNY VMJS	ICICI बैंक नालागढ़	372701000177
5	सभा निधि / SF, IAY, 15TH FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000178

6	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 14TH FC, NRHM, SCSP SC, SBM 13TH FC, 5TH SFC, MPLADS	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000181
7	GRCAUGS, MMGPY, सभा निधि / SF, SDP, SBM, 13TH FC, VKVNY	UCO बैंक मंझोली	014550100003942
8	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 14TH FC,	UCO बैंक मंझोली	14550110045770

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण विभिन्न अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0089 दिनांक 21.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया की भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व उपरोक्त सभी अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि ₹0.06 लाख हस्तगत नकद शेष का पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पँचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया सभा निधि की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि ₹5,562.42 को हस्तगत रखा गया था, जिस राशि को रोकड़ बही में नगद अन्तशेष के रूप में दरसाया गया है जो की एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0089 दिनांक 21.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया की नगद शेष ₹5,562.42 की राशि को सभा निधि के बैंक खाते में जमा करवा किया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त बकाया हस्तगत नकद शेष को बैंक में जमा करवाकर, रोकड़ बही में उचित तरीके से इन्द्रज किया जाए व निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गंभीर अनियमितता पर सभा निधि की रोकड़ बहियों की जांच की जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.7 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान

बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.8 लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लेखा खाते/ खाता बहियाँ तैयार नहीं किये गए थे जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 (क्रमाक संख्या 5) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31.03.2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 (क्रमाक संख्या 3) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत बैठक मे विचार विमर्श उपरान्त आवश्यक कर्यवाही बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹14.37 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 12/2024 दिनांक 12.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 14,36,842.09 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। उक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 2) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 गृहकर की राशि **₹3.91** लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34 (2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/मंझोली दिनांक 12.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0073 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 650 तथा 2023-24 में 1082 परिवारों का ₹ 100/- प्रति परिवार, प्रति वर्ष की दर से लगाया गया है। यह डाटा ऑनलाइन परिवार रजिस्टर अनुसार है, व रजिस्टर असन्धारित है । एवं राशि **₹ 3,91,400.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पता लगाया जा सके । गृहकर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र नियमित वसूली हेतु वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवारों	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	2,13,800.00	**650**	100/-	65,000.00	2,78,800.00	4200.00	2,83,000.00
2023-24	2,83,000.00	1082	100/-	1,08,200.00	3,91,200.00	200.00	3,91,400.00

उपरोक्त सूचना के आधार पर पाया गया कि गृहकर रजिस्टर असंधारित होने के कारण गृहकर के अन्तशेष की पुष्टि नही की जा सकी व अंकेक्षण ज्ञापन 01 दिनांक 12.08.2024 के अनुपालना में ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा पत्र संख्या GP Manlholi 0073 दिनांक 20.08.2024 मे उपलब्ध सूचना अनुसार 2022-23 में परिवारों की कुल 650 संख्या दरसाई गई है व जबकि 2023-24 में यह संख्या 1082 दरसाई गई है, **जिसका अर्थ यह है कि बर्ष 2023-24 में 432 परिवारों के नामों को परिवार रजिस्टर में अंकित किया गया**, जिसकी परिवार रजिस्टर की अनुपस्थिति में पुष्टि नही की जा सकी । जिसके सन्दर्भ में ज्ञापन 11/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0087 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि परिवारों की संख्या बर्ष 2022-23 मे 650 दरसाई गई है जो की पंचायती राज द्वारा किये गये अंकेक्षण के "Audit Note" से ली गई है, इस समबन्ध में उचित करवाही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा । पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है ।

अतः उक्त के सन्दर्भ में परिवार रजिस्टर का उचित प्रकार से संधारण किया जाये तथा वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

8. व्यय

8.1 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.14 लाख के व्यय करने बारेः-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹ 13,551.00** का व्यय किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट " घ "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्वः-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/मंझोली दिनांक 13.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0075 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय से सम्बन्धित जानकारी के आभाव के कारण हुआ है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 राशि ₹54.17 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर आर्डर, माप आंकलन, तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी/प्रशाशनिक स्वीकृति, माप आंकलन, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर व तकनीकी स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, माप आंकलन व मापन पुस्तिका अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में ₹54,16,749.86 की राशि के किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जिसका विवरण **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/ मंझोली दिनांक 14.08.2024 व द्वारा सचिव 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 (क्रमांक संख्या 13) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 में पंचायत सचिव द्वारा इस संदर्भ मे कनिष्ठ अभियंता से चर्चा की गई व उन्होंने बताया की सम्बन्धित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेगे।

अतः वर्णित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत की संदेहात्मक कार्यप्रणाली को परिलक्षित करता है तथा इस स्थिति में किसी भी गम्भीर वित्तीय अनियमितता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः मामले में प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ सचिव व अन्य तकनीकी अधिकारी को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर वर्णित अभिलेखों को शीघ्र सत्यापन हेतु पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने उपरान्त प्रस्तुत किया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.38 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या **XEN-(RD&PR)-DB-General/ 2023-1/ 2024192/ 2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 अनुसार खनन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाने उपरांत किया जाएगा**।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के बिल एवं वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए व

आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध न करवाने के बावजूद संबंधित बिल/वाउचरों का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को **परिशिष्ट - " च "** पर संलग्न विवरणानुसार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व राशि **₹ 38,378.00** की संभावित वित्तीय हानि प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 9) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹ 38,378.00** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपूर्तिकर्ता से वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना खनन सामग्री के बिल/वाउचरों का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तथा राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि **₹ 38,378.00** के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Nonferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह

भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व **भविष्य में (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरान्त ही इस प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाये** व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना केवल चयनित माह 08/2022 व 02/2024 मे ही ₹ 11.65 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 11,64,643.48** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 के (क्रम संख्या 15) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा बताया गया की सम्बन्धित अनियमितताओं की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 केवल चयनित माह में ₹0.08 लाख की राशि के बिलों के भुगतान वास्तविक / मूल बिल के बिना करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹7,593 की राशि के सलग्न बिलों के विवरण अनुसार सीमेंट हेतु भुगतान बिना बिलों के किये गये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट **"ज"** पर सलग्न है, तथा अंकेक्षण की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जो कि एक गम्भीर वितीय अनियमितत है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में क्रमांक GP Manjholi दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस संथर्व में उचित कारवाही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दे जायगी, उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है |

अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

9.1 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण ₹0.19 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे

विभिन्न निर्माण कार्यों की जांच के दौरान पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण ₹19,479 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 के क्रम स० 6 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि को आपूर्तिकर्ता से वसूल करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अत: उक्त निर्माण कार्यों निविदा में अंकित दर से अधिक दर के भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के मस्ट्रोलों के भुगतान को माप पुस्तिका में अंकित भुगतान योग्य राशि से अधिक ₹0.54 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित निम्न मास्टर रोलों की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका में मापन राशि से आधिक भुगतान करने के कारण **₹ 54,261** की राशि का अनियमित भुगतान किया गया है , जिसका विवरण **(परिशिष्ट - "ञ")** में सलग्न है ।

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 08/2024/मंझोली दिनांक: 16.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मंझोली को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: GP Manjholi 0084 दिनांक: 20.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ज्ञापन संख्या 08/2024/मंझोली दिनांक 16.08.2024 के पैरा संख्या " क से झ " में

अंकित मनरेगा के कार्यों के संबंधित (Skill/Semi Skill) मस्ट्रोलों के **₹54,261/-** की राशि की अनियमित भुगतान के स्न्धर्व में तकनीकी सहायक श्री राजन व ग्राम रोजगार सेवक श्री हरजिंदर सिंह से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने स्वीकार किया है की यह भुगतान गलती से हुआ है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दियें गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 सक्षम अधिकारी द्वारा जरी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति / पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना : -

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता ही जो की अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्रोत न होने दे कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

11. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के

अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

12.1 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹ 7.05 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹ 7,04,531.00** के भण्डार को भंडार पुस्तको में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ट "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 (क्रमांक संख्या 12) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत :क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

12.2 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। उत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.03 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि फर्म के

बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 3,270.96 की राशि का स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** में दिया गया है। आयकर की धारा 194(c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/मंझोली दिनांक 21.08.2024 (क्रमांक संख्या 14) द्वारा ₹3,270.96 की स्रोत पर आयकर की कटौती ना करने पर सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0090 दिनांक 21.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संबन्धित कंपनी (वेंडर) से शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14.1 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की राशि वसूल न करने बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹3200.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है: -

(क) विवाह पंजीकरण शुल्क की कम बसूली गई ₹1200/- राशि का सूचि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक
1	संदीप	27.02.2022	06.04.2022	400	200	200	49812	06.04.2022
2	मंदीप कुमार	**20.06.2020**	13.06.2022	400	200	200	49865	13.06.2022
3	लखविन्दर सिंह	01.05.2022	13.06.2022	400	200	200	49866	13.06.2022
4	गुर भजन सिह	08.09.2022	08.12.2022	400	200	200	114115	28.12.2022
5	प्रभजोत सिह	20.11.2022	23.01.2023	400	200	200	114120	23.01.2023
6	राम दास	21.02.2023	25.03.2023	400	200	200	114140	17.04.2023
			कुल राशि	**2400**	**1200**	**1200**		

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 2000 की राशि की वसूली ना करने की सूचि

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि	रसीद दिनांक
1	मखन सिंह	28.04.2022	06.05.2022	200	0	NA	NA
2	हरविंदर सिंह	23.05.2022	13.07.2022	400	0	NA	NA
3	परमिंदर	10.12.2022	23.01.2023	400	0	NA	NA

4	विजय कुमार	26.02.2023	25.03.2023	200	0	NA	NA
5	हेमत कुमार	08.10.2023	07.11.2023	200	0	NA	NA
6	बलविंदर सिह	10.11.2023	19.11.2023	200	0	NA	NA
7	रशिद	15.02.2024	22.03.2024	400	0	NA	NA
			कुल राशि	**2000**	**0**		

कुल राशि (क) + (ख) = **₹ 3200 .00**

जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/मंझोली दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0080 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि को वसूली करके आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेअवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

14.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के

उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹ 11,200.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/मंझोली दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP Manjholi 0080 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन न करना : -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹600.00** का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया और न ही बैंक में जमा किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है: -

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	रोकड़ बही में अंकित करने की दिनांक
1	संदीप	27.02.2022	06.04.2022	400	200	49812	06.04.2022	रोकड़ बही में इन्द्रज नही की गई है	
2	मंदीप कुमार	**20.06.2020**	13.06.2022	400	200	49865	13.06.2022		
3	लखविन्दर सिंह	01.05.2022	13.06.2022	400	200	49866	13.06.2022		
			कुल राशि	**1200**	**600**				

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/मंझोली दिनांक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0080 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क को बैंक में शीघ्र जमा करवा के रोकड़ बही में इन्द्राज करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करना व रोकड़ बही में इन्द्रज करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये ।

15 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	---------	103
8.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
9.	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
10.	बजट प्राक्कलन	11	37
11.	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	-----	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/मंझोली दिनांक 20.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GP Manjholi 0081 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालन नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 21.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

23 SEP 2024

4747 – 4751 का०/57

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 63/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला –09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला –171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला –4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ जिला सोलन हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 SEP 2024

21.9.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला –171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/60

पा०रा०शि० "क", पैरा संख्या "4 व 6 के सम्बन्ध में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP MANJHOLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES, 5TH SFC & BBNDA

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1934317.58	4749021.00	6683338.58	4658051.02	2025287.56
2023-24	2025287.56	2365582.00	4390869.56	1998554.00	2392315.56

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3511680.09	3644987.94	7156668.03	5397698.94	1758969.09
2023-24	1758969.09	1496281.26	3255250.35	1818408.26	1436842.09

Ram Karan
Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

परिशिष्ट "ख", पैरा संख्या [illegible]

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MANJHOLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	64684.02	0.00	64684.02	0.00	64684.02
		2023-24	64684.02	0.00	64684.02	0.00	64684.02
2	SBM	2022-23	61923.61	0.00	61923.61	0.00	61923.61
		2023-24	61923.61	0.00	61923.61	0.00	61923.61
3	SAGY	2022-23	20140.00	0.00	20140.00	0.00	20140.00
		2023-24	20140.00	0.00	20140.00	0.00	20140.00
4	MPLADS	2022-23	5062.09	0.00	5062.09	0.00	5062.09
		2023-24	5062.09	0.00	5062.09	0.00	5062.09
6	13TH FC	2022-23	469319.37	0.00	469319.37	0.00	469319.37
		2023-24	469319.37	0.00	469319.37	0.00	469319.37
7	14TH FC	2022-23	8750.00	0.00	8750.00	0.00	8750.00
		2023-24	8750.00	0.00	8750.00	0.00	8750.00
8	15TH FC	2022-23	2881801.00	2783114.00	5664915.00	4535825.00	1129090.00
		2023-24	1129090.00	861724.00	1990814.00	1183851.00	806963.00
9	MNREGA	2022-23	0.00	861873.94	861873.94	861873.94	0.00
		2023-24	0.00	634557.26	634557.26	634557.26	0.00

Ram Kasen

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

परिशिष्ठ "ग", पैरा संख्या "4 (ख)" के सन्दर्भ में

<u>कार्यालय ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-174101</u>

<u>बैंक व रोकड़ बही अंतर</u>

<u>ग्राम पंचायत मंझोली के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-</u>

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, IAY, RAYEAAY, SBM	ICICI बैंक नालागढ़	372701000155	0.00
2	सभा निधि / SF, 14TH FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000170	56.00
3	सभा निधि / SF, 3RD SFC , 4TH SFC, NRLM	ICICI बैंक नालागढ़	372701000174	358889.00
4	सभा निधि / SF, MPLADS, MMGPY, PMGSY, SCSPSC, 13TH FC, VKVNY VMJS	ICICI बैंक नालागढ़	372701000177	2.00
5	सभा निधि / SF, IAY, 15TH FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000178	27.00
6	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 14TH FC, NRHM, SCSP SC, SBM 13TH FC, 5TH SFC, MPLADS	जोगिंद्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, नालागढ़	101334022000181	738381.93
7	GRCAUGS, MMGPY, सभा निधि / SF, SDP, SBM, 13TH FC, VKVNY	UCO बैंक मंझोली	014550100003942	708151.36
8	सभा निधि / SF, 3RD SFC , 14TH FC,	UCO बैंक मंझोली	14550110045770	0.00
9	15वां वित्तायोग / 15FC	ICICI बैंक नालागढ़	372701000341	810580.00
			जोड़	2616087.29
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				3834720.07
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				2616087.29
			अंतर :-	1218632.78

Ram Kassan
Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

परिशिष्ट " घ ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा स्वतः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 0.14 लाख के व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/2	03.06.2022	Vr. No. 04, 05	2044
2	OWN/2022-23/P/3	03.06.2022	Office Expanse	950
3	OWN/2022-23/P/6	03.06.2022	Vr. No. 10, 11	1697
4	OWN/2022-23/P/11	16.07.2022	Vr. No. 18,19,20	3005
5	OWN/2022-23/P/15	24.08.2022	Office Expanse	962
6	OWN/2022-23/P/27	28.10.2022	Vr. No. 34	943
7	OWN/2022-23/P/35	31.12.2022	Vr. No. 66	2100
8	OWN/2022-23/P/39	29.03.2023	Vr. No. 80	1000
9	OWN/2022-23/P/47	29.03.2023	Vr. No. 92	850
			कुल योग	13551

RamKaran

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

परिशिष्ट " 5 ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के निर्माण कार्यों ₹ 54.17 लाख राशि के से सम्बंधित कार्यों का प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशाशनिक स्वीकृति / कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर ऑर्डर व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने की सूचि

क्र०सं०	अनुदान	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (₹)	अनुदान राशी प्राप्त (₹)	माप पुस्तिका संख्या	माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या	कार्य की स्थिती (पूर्ण / अपुर्ण)
1	BBNDA	नि० कार्य लिंक रोड श्री महिंदर पाल के घर से श्री बग्गा खान के घर तक, मैस्सा टिब्बा (BBNDA)	2022-23	500000	490000.00	NA	NA	पूर्ण
2	NDRF	नि० कार्य Govt. Primery school लखनपुर	2021-22	150000	147000.00	NA	NA	पूर्ण
3	15FC	नि० सीवरेज व गली हरिजन बस्ती GP मंझोली (BDC)	2021-22	78500	78500.00	NA	NA	पूर्ण
4	15FC	नि० कार्य रास्ता में रोड से श्री शादी राम के घर तक, गाँव झिरन	2021-22	60000	60000.00	NA	NA	पूर्ण
5	15FC	नि० कार्य रास्ता घिहड श्री रघुवीर के घर के पास	2021-22	500000	500000.00	NA	NA	पूर्ण
6	15FC	नि० रास्ता श्री बालकृष्ण के घर से श्री सुच्चा मगनपुरा के घर तक	2021-22	500000	500000.00	NA	NA	पूर्ण
7	15FC	नि० रास्ता श्री जीत के घर से श्री रतन के घर तक मगनपुरा	2021-22	500000	500000.00	NA	NA	पूर्ण
8	MAINING HEAD	नि० कार्य Science lab Govt. Sen. Sec. school Manjholi	2022-23	3,000,000	1800000.00	NA	NA	अपुर्ण
9	SCDP	नि० कार्य खेल मैदान GPS तेलीवाल	2021-23	200000	196000.00	NA	NA	पूर्ण
10	मनरेगा	नि.तालाब तेलीवाल.	2022-23	200000	148684.80	NA	NA	पूर्ण
11	मनरेगा	नि.तालाब झीडा अमृत सरोवर .	2022-23	500000	160055.56	NA	NA	पूर्ण
12	मनरेगा	नि.तालाब घिहड अमृत सरोवर .	2022-23	500000	194549.34	NA	NA	पूर्ण
13	मनरेगा	नि.तालाब बेरमपुरअमृत सरोवर .	2022-23	500000	200335.56	NA	NA	पूर्ण
14	मनरेगा	नि.पशु शेड मोहनलाल पुत्र सम्पूर्ण.	2023-24	100000	38880.00	NA	NA	अपुर्ण
15	मनरेगा	नि.पशु शेड दयाल सिंह पुत्र रामकिशन .	2023-24	100000	61830.00	NA	NA	अपुर्ण
16	मनरेगा	नि.पशु शेड मनोज पुत्र चमन लाल.	2023-24	100000	10800.00	NA	NA	अपुर्ण
17	मनरेगा	नि.पशु शेड गुरमेल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह .	2023-24	100000	41824.00	NA	NA	अपुर्ण
18	मनरेगा	नि.पशु शेड रामदास पुत्र दास राम .	2023-24	100000	71149.00	NA	NA	अपुर्ण
19	मनरेगा	नि.पशु शेड रमेश सिंह पुत्र महा सिंह .	2023-24	100000	70454.00	NA	NA	पूर्ण
20	मनरेगा	नि.पशु शेड अमरीक सिंह पुत्र उजागर सिंह .	2023-24	100000	70072.28	NA	NA	अपुर्ण
21	मनरेगा	नि.पशु शेड मनजीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह .	2023-24	100000	76615.32	NA	NA	पूर्ण
			कुल भुगतान की गई राशी		5416749.86			

Secretary Ram Kesh
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh

41

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा केवल चयनित माह 08/2022 व 02/2024 में आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹ 0.38 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

क्रम संख्या	आपूर्ति कर्ता का नाम	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक sqft में)	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2022-23/P/14 - 03.08.2022	282/10.06.2022	W/Sand	180	5.10	1.62	8.26	80	660.80
				Agg. 20 mm	340	9.63	1.54	14.83	80	1186.40
				Stone Dust	1500	42.48	1.62	68.82	80	5505.60
2	M/s Saini Brothers & company	OWN/2022-23/P/20- 12.08.2022	290 / 02.08.2022	W/Sand	420	11.89	1.62	19.26	80	1540.80
				Agg. 20 mm	190	5.38	1.54	8.29	80	663.20
				Gatka 40 mm	580	16.43	2.24	36.8	80	2944.00
3	SAINI BROTHERS & COMPANY	XVFC/2022-23/P/85 - 08.08.2022	289 / 15.07.2022	W/Sand	25	0.71	1.62	1.15	80	92.00
				Agg. 20 mm	50	1.42	1.54	2.19	80	175.20
				Dust	115	3.26	1.62	5.28	80	422.40
4	SAINI BROTHERS & COMPANY	XVFC/2022-23/P/89 - 23.08.2022	297 / 06.08.2022	Dust	175	4.96	1.62	8.04	80	643.20
5	SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2023-24/P/8 - 15.02.2024	421 / 26.11.2023	Gatka	240	6.80	2.24	15.23	80	1218.40
				W/Sand	810	22.94	1.62	37.16	80	2972.80
				Agg.	650	18.41	1.54	28.35	80	2268.00
6			428 / 02.01.2024	Agg. 20	500	14.16	1.54	21.81	80	1744.80
				W/Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
7			429 / 03.01.2024	Agg. 20	500	14.16	1.54	21.81	80	1744.80
				W/Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
8	SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2023-24/P/11 - 29.02.2024	437 / 05.02.2024	W/Sand	125	2.35	1.62	3.81	80	304.80
				Agg.	250	7.08	1.54	10.9	80	872.00
				Stone Dust	350	9.91	1.62	16.05	80	1284.00
				Gatka	300	8.50	2.24	19.04	80	1523.20
									Total	30702.40
									Panelity @ 25%	7675.60
									कुल राशी	38378.00

92 Secretary RAM KARAN
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

-37-

परिशिष्ट " ६० ", पैरा संख्या " 8.4 "के सन्दर्भ में

<u>ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 02/2024 में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक ₹ 11.65 लाख की की सूची</u>

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
नि० कार्य लिंक रोड श्री महिंदर पाल के घर से श्री बग्गा खान के घर तक, सैस्सा टिब्बा (BBNDA)	SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2022-23/P/14 - 03.08.2022	282/10.06.2022	W/Sand	180	25	50085.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
				Agg. 20 mm	340	30		
				Stone Dust	1500	22		
	JASVIR SINGH		27 / 25.06.2022	Water Tank	5 Days	1000	10000.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				Mixture Machine	5 Days	1000		
	M/s Mahavir Industries	OWN/2022-23/P/18-04.08.2022	533 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
			534 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00	
			535 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00	
			536 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00	
			537 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00	
			538 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00	
			539 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	1800	14	29736.00	
नि० कार्य Govt. Primery school लखनपुर	Abhishek Sports Industries		T/22-23/87 - 16.08.2022	Functional Trainer	1	30000	70000.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				Six in one bench	2	10672		
				Plates	40 Kg	100		
				Rod	3 Set	666.75		
				Dumbbell	70 Kg	115		
				Plain Bench	1 Set	4000		
				Lats Handle	1 Set	600		
	M/s Saini Brothers & company	OWN/2022-23/P/20-12.08.2022	290 / 02.08.2022	W/Sand	420	25	32235.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
				Agg. 20 mm + 40mm	190	30		
				Gatka 40 mm	580	25		
	JASVIR SINGH		29 / 07.08.2022	Shotring Plate 8 days	70	5	11380.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				Balays 08 days	50	1		
				Chanel 08 days	10	5		
				Patti	80	20		
				Net Bolt	2 kg	475		
				Mixture Machine	5 days	1000		
				Fatte	23	10		
नि० कार्य रास्ता में रोड से श्री शादी राम के घर तक, गाँव झिरन	SAINI BROTHERS & COMPANY	XVFC/2022-23/P/85 - 08.08.2022	289 / 15.07.2022	W/Sand	25	25	5250.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
				Agg. 20 mm	50	30		
				Dust	115	25		
	Friends and Enterprises	XVFC/2022-23/P/89 - 23.08.2022	03 / 02.08.2022	Paver Tiles 60mm	2900	12	41064.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
	SAINI BROTHERS & COMPANY	XVFC/2022-23/P/89 - 23.08.2022	297 / 06.08.2022	Dust	175	25	4593.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना

RAMKARAN
Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) HP

ग्राम पंचायत मंझोली	Shukla Services	XVFC/2023-24/P/36 - 02.02.2024	24 / 24.01.2024	HP Laserjet M1005 Logic card New	1	6000	7670.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				USB Hub 3.0	1	500		
ग्राम पंचायत मंझोली	Sharma Sweets Shop		414 / 14.01.2024	समोसे	660	15	16500.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				चाय	330	10		
				बर्फी खोआ	10	330		
ग्राम पंचायत मंझोली	Ashok Dhiman	XVFC/2023-24/P/39 - 28.02.2024	290 / 20.02.2024	12 A TONNER CATRIDGE	1	1200	1850.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				12 A TONNER REFILLED	1	300		
				12 Drum change	1	350		
नि॰ कार्य Science lab Govt. Sen. Sec. school Manjholi	Avassthi sales corporation	OWN/2023-24/P/8 - 15.02.2024	ASC/23-24/1707 - 15.01.2024	Sariya 12mm	955.2	60	208820.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				Sariya 16 mm	205.4	60		
				Sariya 20 mm	739.8	60		
				Sariya 10 mm	748.4	61		
				Sariya 8 mm	251.6	62		
			ASC/23-24/1711 - 16.01.2024	Binding Wire	15	76.27	1350.00	
			ASC/23-24/1697 - 13.01.2024	Sariya 10 mm	300	61	22720.00	
				Binding Wire	5 kg	84.75		
	SAINI BROTHERS & COMPANY		421 / 26.11.2023	Gatka	240	34	54868.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
				W/Sand	810	28		
				Agg.	650	34		
			428 / 02.01.2024	Agg. 20	500	34	29610.00	
				W/Sand	400	28		
			429 / 03.01.2024	Agg. 20	500	34	29610.00	
				W/Sand	400	28		
			430 / 04.01.2024	Shutering	1700 Sq. Ft.	14.11	53536.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
				Water Tank	20 Days	750		
				Mixture Machine	20 days	600		
	Chandel Electrical and Electronics		013/ 19.01.2024	FDB FAN BOX	12	813.6	5938.48	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				BEND PCV	28	10		
				CONDUT PIPE	33	63		
				LABOUR	310 SQ.FT	6		
	SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2023-24/P/10 - 15.02.2024	440 / 09.02.2024	Cement beg carriage with loading unloading	336	30	17640.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				Cement beg carriage with loading unloading	24	30		
				Cement beg carriage with loading unloading	200	30		
	GURU NANAK FABRICATIONS		63 / 31.01.2024	MS Stairswith railing 17 Ft	289.350 kg	110 kg	37556.00	प्रस्ताव में अंकित न करना
नि॰ कार्य खेल मैदान GPS तेलीवाल	M/s Mahavir Industries	OWN/2023-24/P/11 - 29.02.2024	935 / 08.01.2024	Interlock 60mm	3500	12	49560.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
			936 / 09.01.2024	Interlock 60mm	3000	12	42480.00	
	SAINI BROTHERS & COMPANY		437 / 05.02.2024	W/Sand	125	28	33232.00	
				Agg.	250	34		
				Stone Dust	350	27		
				Gatka	300	34		
						कुल राशी	1164643.48	

RAMKARAN

Secretary
Gram Panchayat Manjholi

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या "8.5 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा चयनित माह 08/2022 व 02/2024 में बिना मूल बिलों के ₹ 0.08 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची जिसका दो वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है

अनुदान	क्रम संख्या	रोकड़ बही वॉचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	आपूर्तिकर्ता	राशी	टिप्पणी
15TH FC	1	XVFC/2022-23/P/84 - 08.08.2022	PI/ 1317 - 26.09.2022	Cement Beg	10	HPSCSC LTD	3402.00	बिना मूल बिल के अग्रीम भुगतान करना व भुगतान की गई राशी का दो वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नही करना
15TH FC	2	XVFC/2023-24/P/38 - 22.02.2024	PI/0454 - 22.02.2024	Cement Beg	12	HPSCSC LTD	4191.00	
						कुल राशी	7593	

Secretary RAMKARAN
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

-46- 44

परिशिष्ट " 51 ", पैरा संख्या "9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 केवल चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के अंकेक्षण में वोउचरों की जाँच में पाया की निविदा में अंकित दर से अधिक दर से ₹ 0.19 लाख का अनियमित भुगतान किया गया जिसकी सूची से प्रकार से है

शीर्ष	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	L1 द्वारा निविदा में अंकित दर प्रति इकाई	अदा राशि प्रति इकाई	अदा की गई राशि (₹)	निविदा अनुसार भुगतान की जाने योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
OWN	नि० कार्य लिंक रोड श्री महिंदर पाल के घर से श्री बग्गा खान के घर तक, मैस्सा टिब्बा (BBNDA)	Jasvir Singh	OWN/2022-23/P/14 - 03.08.2022	27/25.06.2022	Mixture Machine	5 Days	500.00	1000.00	5000.00	2500.00	2500.00
OWN	नि० कार्य Govt. Primery school लखनपुर	Jasvir Singh	OWN/2022-23/P/20- 12.08.2022	29 / 07.08.2022	Mixture Machine	5 Days	500.00	1000.00	5000.00	2500.00	2500.00
OWN	नि० कार्य Science lab Govt. Sen. Sec. school Manjholi	SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2023-24/P/8 - 15.01.2024	421 / 26.11.2023	Gatka	240	31.00	34.00	54868.00	50232.00	4636.00
					W/Sand	810	25.00	28.00			
					Agg.	650	30.00	34.00			
				428 / 02.01.2024	Agg. 20	500	30.00	34.00	29610.00	26250.00	3360.00
					W/Sand	400	25.00	28.00			
				429 / 03.01.2024	Agg. 20	500	30.00	34.00	29610.00	26250.00	3360.00
					W/Sand	400	25.00	28.00			
OWN	नि० कार्य खेल मैदान GPS तेलीवाल	SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2023-24/P/11 - 29.02.2024	437 / 05.02.2024	W/Sand	125	25.00	28.00	33232.00	30109.00	3123.00
					Agg.	250	30.00	34.00			
					Stone Dust	350	25.00	27.00			
					Gatka	300	31.00	34.00			
										कुल राशी	19479.00

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

45

परिशिष्ट "ज", पैरा संख्या " 9.2 " के सन्दर्भ में

<u>ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 08/2022 व 02/2024 से संबंधित मास्टर रोलों की विभिन्न अनियमिताओं के कारण ₹0.54 लाख के अनियमित भुगतान की सूचि</u>

(क) निर्माण कार्य पशुशाला श्री राम दास पुत्र श्री दास राम गाँव मंझोली

अनुदान		मनरेगा		
कार्य परिसंपत्ति संख्या		1311004156/IF/32307528		
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/3879/AS दिनांक 10.02.2023				
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/3879/TS दिनांक 10-02-2023				
माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 57		मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 2457 / 25.10.2023		
मास्टर रोल की दिनांक		26.10.2023 से 10.11.2023		
माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी	माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी	माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)	मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
57 / 10808.00	2453 / 10800.00	8.00	6784.00	6776.00

(ख) निर्माण कार्य पशुशाला श्री रमेश सिंह पुत्र श्री माहा सिंह

अनुदान		मनरेगा		
कार्य परिसंपत्ति संख्या		1311004156/IF/32307463		
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/38938/AS दिनांक 21.03.2023				
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/38938/TS दिनांक 20-03-2023				
माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 59		मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 2460 / 25.10.2023		
मास्टर रोल की दिनांक		26.10.2023 से 10.11.2023		
माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी	माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी	माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)	मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
59 / 17298.00	2452 / 15360.00	1938.00	6784.00	4846.00

Rajan Kumar

Ram Kassh

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

(ग) निर्माण कार्य पशुशाला श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह , घिहद

<table>
<tr><td colspan="3">अनुदान</td><td colspan="2">मनरेगा</td></tr>
<tr><td colspan="3">कार्य परिसंपत्ति संख्या</td><td colspan="2">1311004156/IF/8000110422</td></tr>
<tr><td colspan="5">कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/56581/AS दिनांक 01.05.2023</td></tr>
<tr><td colspan="5">तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/56581/TS दिनांक 26-04-2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 58</td><td colspan="3">मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 2461 / 25.10.2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">मास्टर रोल की दिनांक</td><td colspan="3">26.10.2023 से 10.11.2023</td></tr>
<tr><td>माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी</td><td>माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी</td><td>माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)</td><td>मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)</td><td>अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)</td></tr>
<tr><td>58 / 16612.00</td><td>2456 / 15360.00</td><td>1252.00</td><td>6784.00</td><td>5532.00</td></tr>
</table>

(घ) निर्माण कार्य पशुशाला श्री दयाल सिंह पुत्र श्री राम किशन

<table>
<tr><td colspan="3">अनुदान</td><td colspan="2">मनरेगा</td></tr>
<tr><td colspan="3">कार्य परिसंपत्ति संख्या</td><td colspan="2">1311004156/IF/32307500</td></tr>
<tr><td colspan="5">कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/38933/AS दिनांक 21.03.2023</td></tr>
<tr><td colspan="5">तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/38933/TS दिनांक 20-03-2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 61</td><td colspan="3">मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 2780 / 25.11.2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">मास्टर रोल की दिनांक</td><td colspan="3">26.11.2023 से 10.12.2023</td></tr>
<tr><td>माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी</td><td>माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी</td><td>माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)</td><td>मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)</td><td>अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)</td></tr>
<tr><td>61 / 10953.00</td><td>2778 / 10800.00</td><td>153.00</td><td>6360.00</td><td>6207.00</td></tr>
</table>

Rajan Kumar

Ram Kasan

Secretary
Gram Panchayat Manibal
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

(ङ) निर्माण कार्य पशुशाला श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह, घिहद

अनुदान		मनरेगा		
कार्य परिसंपत्ति संख्या		1311004156/IF/8000110422		
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/56581/AS दिनांक 01.05.2023				
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/56581/TS दिनांक 26-04-2023				
माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 62		मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 2781 / 25.11.2023		
मास्टर रोल की दिनांक		26.11.2023 से 10.12.2023		
माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी	माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी	माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)	मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
62 / 14690.00	2779 / 14400.00	290.00	6360.00	6070.00

(च) निर्माण कार्य पशुशाला श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह

अनुदान		मनरेगा		
कार्य परिसंपत्ति संख्या		1311004156/IF/32289560		
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/84875/AS दिनांक 30.08.2022				
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/84875/TS दिनांक 29-08-2022				
माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 60		मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 2782 / 25.11.2023		
मास्टर रोल की दिनांक		26.11.2023 से 10.12.2023		
माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी	माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी	माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)	मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
62 / 14604.00	2777 / 14400.00	204.00	6360.00	6156.00

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

Rajan Kumar TA

GPS
Harjinder Singh

Ram Karan

47

(छ) निर्माण कार्य पशुशाला श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह, मेसा टीबा

अनुदान		मनरेगा		
कार्य परिसंपत्ति संख्या		1311004156/IF/32310073		
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/3966/AS दिनांक 10.02.2023				
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/3966/TS दिनांक 10-02-2023				
माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 63		मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 3088 / 20.12.2023		
मास्टर रोल की दिनांक		21.12.2023 से 05.01.2024		
माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी	माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी	माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)	मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
63 / 11528.00	3084 / 11520.00	8.00	6784.00	6776.00

(ज) निर्माण कार्य पशुशाला श्री दयाल सिंह पुत्र श्री राम किशन

अनुदान		मनरेगा		
कार्य परिसंपत्ति संख्या		1311004156/IF/32307500		
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/38933/AS दिनांक 21.03.2023				
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/38933/TS दिनांक 20-03-2023				
माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 64		मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 3583 / 12.01.2024		
मास्टर रोल की दिनांक		16.01.2024 से 31.01.2024		
माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी	माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी	माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)	मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
64 / 11505.00	3579 / 10800.00	705.00	6360.00	5655.00

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

(झ) निर्माण कार्य पशुशाला श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह , मेसा टीबा

अनुदान		मनरेगा		
कार्य परिसंपत्ति संख्या		1311004156/IF/32310073		
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/3966/AS दिनांक 10.02.2023				
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311004156/2022-23/3966/TS दिनांक 10-02-2023				
माप पुस्तिका संख्या 3199 पृष्ठ संख्या 64		मास्टर रोल संख्या / जारी करने की दिनांक : 3585 / 12.01.2024		
मास्टर रोल की दिनांक		16.01.2024 से 31.01.2024		
माप पुस्तिका पृष्ट संख्या व निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार भुगतान योग्य राशी	माप पुस्तिका में माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार पहले से भुगतान की गई मास्टर रोल संख्या / राशी	माप पुस्तिका में अंकित राशी के अनुरूप कुल भुगतान योग्य अन्तशेष राशी (क)	मस्टर रोल संख्या में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
65 / 10917.00	3580 / 10800.00	117.00	6360.00	6243.00
			कुल राशी (क से झ तक)	54961.00

Harjinder Singh

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P

Ram Karan

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 12.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 02/2024 में क्रय किये गये ₹ 7.05 लाख की सामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी
SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2022-23/P/14 - 03.08.2022	282/10.06.2022	W/Sand	180	25	50085.00
			Agg. 20 mm	340	30	
			Stone Dust	1500	22	
M/s Mahavir Industries	OWN/2022-23/P/18- 04.08.2022	533 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00
		534 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00
		535 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00
		536 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00
		537 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00
		538 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560.00
		539 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	1800	14	29736.00
Abhishek Sports Industries		T/22-23/87 - 16.08.2022	Functional Trainer	1	30000	70000.00
			Six in one bench	2	10672	
			Plates	40 Kg	100	
			Rod	3 Set	666.75	
			Dumbbell	70 Kg	115	
			Plain Bench	1 Set	4000	
			Lats Handle	1 Set	600	
M/s Saini Brothers & company	OWN/2022-23/P/20- 12.08.2022	290 / 02.08.2022	W/Sand	420	25	32235.00
			Agg. 20 mm + 40mm	190	30	
			Gatka 40 mm	580	25	
JASVIR SINGH		29 / 07.08.2022	Shotring Plate 8 days	70	5	11380.00
			Balays 08 days	50	1	
			Chanel 08 days	10	5	
			Patti	80	20	
			Net Bolt	2 kg	475	
			Fatte	23	10	

-48 49

Secretary RAMKARAN
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) HP

SAINI BROTHERS & COMPANY	XVFC/2022-23/P/85 - 08.08.2022	289 / 15.07.2022	W/Sand	25	25	5250.00
			Agg. 20 mm	50	30	
			Dust	115	25	
Friends and Enterprises	XVFC/2022-23/P/89 - 23.08.2022	03 / 02.08.2022	Paver Tiles 60mm	2900	12	41064.00
SAINI BROTHERS & COMPANY	XVFC/2022-23/P/89 - 23.08.2022	297 / 06.08.2022	Dust	175	25	4593.00
		63 / 31.01.2024	MS Stairswith railing 17 Ft	289.350 kg	110 kg	37556.00
GURU NANAK FABRICATIONS		935 / 08.01.2024	Interlock 60mm	3500	12	49560.00
M/s Mahavir Industries		936 / 09.01.2024	Interlock 60mm	3000	12	42480.00
SAINI BROTHERS & COMPANY	OWN/2023-24/P/11 - 29.02.2024	437 / 05.02.2024	W/Sand	125	28	33232.00
			Agg.	250	34	
			Stone Dust	350	27	
			Gatka	300	34	
					कुल राशी	704531.00

Secretary
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

-48

परिशिष्ट " 5 ", पैरा संख्या " 13 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 02/2024 के वोउचरों में स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.03 लाख की वसूली न करने की सूची

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी (₹)	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
नि० कार्य लिंक रोड श्री महिंदर पाल के घर से श्री बग्गा खान के घर तक, मैस्सा टिब्बा (BBNDA)	M/s Mahavir Industries	OWN/2022-23/P/18-04.08.2022	533 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	1%	495.60
			534 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	1%	495.60
			535 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	1%	495.60
			536 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	1%	495.60
			537 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	1%	495.60
			538 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	3000	14	49560	1%	495.60
			539 / 03.06.2022	Interlock Tiles 80mm	1800	14	29736	1%	297.36
								कुल राशी	3270.96

Secretary
RamKARAN
Gram Panchayat Manjholi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

-पेज- 56